विहार विधानसभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ७ सितम्बर, १९७२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधानसभा का कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ७ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे

अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ

मसरक को अनुमंडल बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री सभापति सिंह— अध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों से पटना में जो कांड हुआ है उसकी चर्चा सदन में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री कुछ लोगों के चलते सारण जिले के मशरम को सबडिविजन नहीं बना रहे हैं और पक्षपातपूर्ण नीति अपनाये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, वहाँ की स्थिति विस्फोटक-सी हो गयी है। १०० से ज्यादा आदमी कारागार में बंद है, हजारों लोग धरना दे रहे हैं। फिर भी सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। इसके चलते यदि कोई घटना मसरक में घट जाय तो उसकी पूरी जवाबदेही पाण्डेयजी पर होगी। उनका कहना है कि श्री दारोगा प्रसाद राय, जो वहाँ के हैं, वे कुछ करना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। यह बात मुख्यमन्त्री जी ने कई आदमी के सामने कही है।

श्री दरोगा प्रसाद राय— सोलह आना आपके चलते समझौता नहीं हो रहा है।

श्री केदार पाण्डेय— मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिला पुनर्संगठन के बारे में तीन घण्टे की बहस रखी गयी है। आपको जो कुछ कहना है इनकण्ट्रोवर्सियल इसपर उसी वक्त कहें तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष— इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण-सूचना भी है जो स्वीकृत है। ३ घण्टे

तीन महीने का समय दीजिए कि इसपर विचार किया जाय और हम विचार करें। यह कम्पलीकेटेड सवाल है और इस सवाल पर विचार करके ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। मैं तो कहूंगा कि वे लोग स्ट्राइक को खतम करें और सभी लोग मिलजुलकर इस सुखार से बिहार को बचायें।

अध्यक्ष— अब दूसरी ध्यानाकर्षण-सूचना ली जाय।

श्री रमेश झा— मैंने इसके पहले के ध्यानाकर्षण का जवाब आधा ही पढ़ा था आधा बाकी रह गया था।

अध्यक्ष— आप जवाब दें और शुरू से दें।

स्थगन-प्रस्ताव

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—मैंने एक कार्य-स्थगन-प्रस्ताव दिया था, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष— मैंने उसको अमान्य कर दिया। आप उसकी चर्चा न करें। मैं उसका कारण भी देता हूँ। कारण यह है कि आपने निर्धारित समय के बाद १०-२० मिनट पर सूचना दी थी।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद— अध्यक्ष महोदय, आज सुखार पर बहस का पाँचवाँ दिन है, लेकिन बहस एक दिन भी नहीं हुई। इसलिए मेरा कहना है कि कम-से-कम ५ दिन इसके लिए समय दें।

अध्यक्ष— पहले शुरू तो होने दीजिए।

ध्यानाकर्षण-सूचना और सरकारी वक्तव्य

(क) गोह अंचल में चल रहे आन्दोलन में मुखिया लोगों का अनशन

श्री रमेश झा— माननीय सदस्य ने गोह प्रखण्ड की स्थिति के सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण-सूचना दी है उसके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है—

(२) यह सही है कि गोह अंचल सुखारग्रस्त है और इसलिए सहाय्य-संबंधी सभी कार्य गोह अंचल में २१-८-७२ के बहुत पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था। प्रखण्ड की २४ पंचायतों में से २१ पंचायतों में २०-८-७२ तक गल्ला पहुँच चुका था। इन २१ पंचायतों में कठिन श्रम-योजना भी चल रही थी। सभी पंचायतों में लाल कार्ड बनाने का कार्य आरम्भ हो गया था और ऋण बाँटने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू हो गयी थी। सभी पंचायतों में निगरानी समिति का गठन हो चुका था और कम-से-कम सस्ते गल्ले की एक-एक दूकान सभी पंचायतों में खुल गयी थी। इसलिये यह कहना कि रिलीफ का कोई काम इस अंचल में नहीं किया गया था, सही नहीं है।

(३) अंचल अधिकारी के विरुद्ध घूस की जो शिकायत की गयी है उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि २५-८-७२ के पहले गोह अंचल में सुखार-सम्बन्धी तीन परचे बाँटे गये थे जिनमें एक परचा गोह प्रखण्ड के मुखिया की ओर से था। उसमें १९-८-७२ को दो बजे गोह मिडिल स्कूल के प्रांगण में गोह अंचल को अकाल-क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में सभा करने के लिये जनता को आमन्त्रित किया गया था। दो परचे श्री रामदेव सिंह, मन्त्री अंचल पंचायत परिषद् की ओर से बाँटे गये थे। पर किसी परचे में अंचल अधिकारी के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत नहीं की गयी थी और न मुखिया लोग अंचल अधिकारी पर अपशब्द कहने का इल्जाम लाये थे। श्री रामदेव सिंह ने जो अनशन प्रारम्भ किया उसके सम्बन्ध में जो उन्होंने दो परचे बाँटे उनमें उन्होंने अंचल को अकाल-क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में ही चर्चा की। कठिन श्रम-योजना के सम्बन्ध में उन्होंने परचे में यह बताया कि मजदूरों को सरकारी रेट से भी कम पैसे दिये जा रहे हैं या पेशेवर बेलदार के द्वारा काम कराया जा रहा है। उन्होंने परचे में यह भी कहा कि सरकार को ध्यान दिलाने वास्ते तथा सरकारी पदाधिकारियों-सहित कुछेक जन-प्रतिनिधियों के कुकर्मों से त्राण पाने हेतु २३-८-७२ से प्रखण्ड कार्यालय के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अतः यह कहना कि अंचल अधिकारी के विरुद्ध उन्होंने अनशन प्रारम्भ किया, सही नहीं है। यह सही है कि २३-८-७२ से श्री रामदेव सिंह ने और २५-८-७२ से १८ मुखिया लोगों ने अनशन प्रारम्भ किया। परन्तु ये मुखिया लोग केवल विरोधीदल के थे।

अध्यक्ष— किस पार्टी के थे ?

श्री रमेश झा— विभिन्न विरोधी दलों के थे।

श्री हरिहर सिंह— इस तरह की बात सरकार करती है कि सभी विरोधी पार्टी के लोग, यह ठीक नहीं है।

श्री रमेश झा— क्वेश्चन है कि सभी सम्मिलित पार्टियों ने ऐसा किया था, तो उसका जवाब हम देंगे या नहीं देंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र— मुखिया का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होता है, इसलिए मन्त्री महोदय को कहने में कोई जस्टीफिकेशन नहीं है कि सभी विरोधी पार्टी के हैं।

अध्यक्ष— मुखिया का उम्मीदवार विरोधी पार्टी नहीं खड़ा करती है; इसलिये यह कहना कि मुखियागण विभिन्न विरोधी पाटी के थे, उचित नहीं है।

श्री रमेश झा—जैसे सोशलिस्ट पार्टी के २, कम्युनिस्ट पार्टी के १, जनसंघ के १, संगठन काँग्रेस और निर्दलीय के १४। श्री रामदेव सिंह गोह के बृहत् बहुधंधी समिति के एक मुख्य कार्यकर्त्ता थे और पिछले वर्ष अकाल के समय इनके द्वारा

साहाय्य कार्य में बहुत अनियमितता की गयी थी जिसके कारण इन्हें मुफ्त राशन आदि बँटवाने का कार्य इस बार नहीं सौंपा गया था। इसलिये वे अँचल अधिकारी के प्रति क्षुब्ध थे। मुखियागण ने परचे में यह माँग रखी थी कि गोह बृहत् बहुधंधी समिति को राशन बाँटने की जिम्मेदारी नहीं दी जाय।

(४) २७-८-७२ को जो लाठी चार्ज का आरोप लगाया गया है वह भी सही नहीं है। बल्कि यह घटना २६-८-७२ को ही हुई थी। इसका कारण यह था कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संगठित एक प्रदर्शन जिसमें करीब २००० आदमी थे उन्होंने प्रखण्ड कार्यालय के असबाब और कागजात को ध्वंस करना शुरू कर दिया और कार्यालय में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी तथा सशस्त्र पुलिसदल पर घातक हथियारों और ढेले से हमला किया। इस हमले में श्री रामदेव सिंह और अनशनकारी मुखियालोग भी शामिल थे। अपनी तथा सरकारी सम्पत्ति की प्रतिरक्षा-हेतु पहले लाठीचार्ज और फिर बाद में तीन राउण्ड गोलियाँ चलानी पड़ीं। मजिस्ट्रेट की प्राथमिकी पर एक मुकदमा शुरू हुआ है तथा प्राथमिकी में वर्णित अभियुक्तों में से अनशनकारियों-समेत ४५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के अनुमण्डल पदाधिकारी उस समय औरंगाबाद में ही थे और वे गोह में उपस्थित नहीं थे।

(५) मुकदमे की जाँच पुलिस द्वारा करीब-करीब समाप्त हो गयी है केवल फरार अभियुक्तों के लिए ही आरोपपत्र के समर्पण में विलम्ब हो रहा है। आशा है कि शीघ्र ही सभी अभियुक्तों पर आरोपपत्र समर्पित हो जायगा। मुखिया को पी०आर० पर छोड़ने का आदेश सरकार द्वारा हो चुका है। किन्तु उनके द्वारा कल तक जमानत की माँग नहीं की गयी थी।

(६) उपर्युक्त परिस्थिति में एस०डी०ओ०,औरंगाबाद और अंचल अधिकारी, गोह के विरुद्ध मुअत्तल करने की कार्रवाई करने का औचित्य सरकार नहीं समझती है। साहाय्य के सम्बन्ध में सरकार सक्रिय है और अंचल अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों पर नजर रख रही है।

अध्यक्ष—ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह का नाम प्रथम है। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और नियम के अनुसार, एक ध्यानाकर्षण-सूचना पर ५ ही मिनट समय लिया जा सकता है पूरक प्रश्नों में। इसलिए एक-एक करके संक्षेप में पूरक पूछें।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—सरकार की रिपोर्ट हास्यास्पद है। मेरा प्रश्न है कि २१ तारीख तक एस० डी० ओ० गोह नहीं पहुँचे थे तो जवाब में है कि नोटिश बँटी है, उस नोटिश में प्रमुख माँग है कि अकाल-क्षेत्र घोषित किया जाय और ड्रॉट

के सिलसिले में फैले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाय तो इस संबंध में वे कुछ नहीं कहते हैं····

अध्यक्ष—एक ही पूरक प्रश्न के लिए ५ मिनट नहीं है।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—मैं इस उत्तर को चैलेन्ज करता हूँ। इसमें है कि २७-८-७२ को एस० डी० ओ० आये और उन्होंने आदेश दिया कि मुखियों को जेल में बन्द करो और उनपर वही दफा लगाया गया जो प्रदर्शनकारी पर लगाया गया।

श्री रमेश झा— इन्होंने कहा कि २७ तारीख को लाठी चार्ज हुआ और एस० डी० ओ० वहीं थे लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि घटना २६ को हुई। मुमकिन है एस० डी० ओ० २७ को वहाँ गये हों, इसीलिए मैंने कहा कि स्थिति इस प्रकार है।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—यह गलत है। मुखिया लोग २६ को अनशन पर बैठे थे। २७ को एस० डी० ओ० वहाँ पहुँचे और अनशन पर बैठे लोगों को दफा लगा करके जेल में बन्द कर दिया और वे कहते हैं कि मुमकिन है कि २७ को एस० डी० ओ० वहाँ गये हों।

श्री रमेश झा—मैं कहता हूँ कि २६ को घटना हुई। हो सकता है कि २७ को एस० डी० ओ० वहाँ गये हों। घटना २६ को हुई, २७ को नहीं, यह मैंने कहा।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह— मेरे प्रश्न का मूल आधार है कि २७ को एस० डी० ओ० वहाँ पहुँचे, लाठी चार्ज हुआ और अनशनकारी और प्रदर्शनकारी एरेस्ट कर जेल में बन्द किये गये। २६ को घटना नहीं घटी है। २६ को मुखिया लोग अनशन पर थे। असली मूल आधार है कि २७ को जो मुखिया अनशन पर बैठे थे उनको प्रदर्शनकारी का सा दफा लगाकर जेल में बन्द किया गया या नहीं।

श्री रमेश झा—इनकी ध्यानाकर्षण-सूचना में है कि २७-८-७२ को १० बजे यह घटना हुई थी जिससे एस० डी० ओ० ने वहाँ लाठी चार्ज कराया और मैंने कहा कि २६ को ही यह घटना हुई थी, २७ को नहीं।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—यह गलत है।

अध्यक्ष—तब क्या इन्क्वायरी कराने के लिये सरकार से कहते हैं?

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—सरकार इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराये और अगर सही नहीं है तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री रमेश झा—मैं सारी बातों का जवाब देने को तैयार हूँ। एक-एक करके प्रश्न पूछिये मैं सबोंका जवाब दूँगा।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह कहते हैं कि २७ तारीख को यह घटना घटी है और अगर नहीं घटी है तो वह इस्तीफा दे देंगे।

श्री रमेश झा—मैंने इसकी इन्क्वायरी करायी है और जो रिपोर्ट समाहर्त्ता की

प्राप्त हुई है उसमें है कि २६ को लाठी चार्ज हुआ और उस समय एस० डी० ओ० घटना-स्थल पर नहीं थे।

श्री ब्रजमोहन सिंह—मैं भी इस घटना से संबंधित हूँ।

अध्यक्ष—आप पूरक पूछें।

श्री ब्रजमोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, पूरक तो पूछा ही जायगा, यदि सरकार घटना का सही-सही जवाब दे। लेकिन मेरा सरकार के जवाब से बुनियादी विरोध है। चूँकि सरकार ने घुमा-फिराकर घटना को छिपाया है और प्रकारान्तर से इस लाठी चार्ज की घटना को कबूल कर लिया है। सरकार का जवाब है कि २७ तारीख को एस० डी० ओ० गोह में नहीं थे। लेकिन मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि २७ तारीख को ए० डी० ओ० गोह में ही कैंप किये हुए थे। संयोगवश २७ तारीख को एस० डी० ओ० औरंगाबाद में सीमेंट एडवाइजरी कमिटी की बैठक रखे हुए थे जिसमें मैं भी सदस्य हूँ और उस दिन की बैठक में मैं गया था। लेकिन चूँकि एस० डी० ओ० गोह में थे इसलिये बैठक स्थगित कर देनी पड़ी और उसे प्रोसीडिंग में दर्ज कर दिया गया। इसलिये एस० डी० ओ० निश्चित तौर से गोह में थे और उनके सामने लाठी चार्ज हुआ। इस संबंध में आपूर्त्ति राज्यमन्त्री ने भी जाँच करके सरकार को रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने एस० डी० ओ० को इस काम के लिये दोषी ठहराया और उनपर कड़ी कार्रवाई किये जाने की सिफारिश की है। इसलिये मैं माँग करता हूँ कि पटना के कमिश्नर से इसकी उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय।

श्री रमेश झा—मैंने बराबर यह कहा है कि यह घटना २६ तारीख को हुई, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष—दो माननीय सदस्यों ने सरकार को चुनौती दी है, व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव के आधार पर। इसलिये आप इसकी तुरत जाँच करायें।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—जाँच कमिश्नर से हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने जाँच के लिये आदेश दिया है।

अध्यक्ष—धन्यवाद की जरूरत नहीं। चूँकि दो माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत जानकारी तथा अनुभव के आधार पर चुनौती दी है, इसलिये मैंने इन्क्वायरी के लिये कहा।

श्री रमेश झा—मैं इसकी जाँच कराऊँगा।

श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यमन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि अगर वे जाँच करायेंगे तो इस बात की भी जाँच करायें कि जितने मुखिया लोग थे उनको यदि छोड़ देने का आदेश दे दिया गया है तो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता को क्यों नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है।

श्री रमेश झा—यह बात सही है कि पहले मुख्यमन्त्री ने मुखिया लोगों को छोड़ने का आदेश दिया था और आज सभी को छोड़ देने का आदेश दिया है।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, कोशी बाँध वाले का डेट पहले से है और आज तक वह स्थगित है, इसलिये उसे पहले आना चाहिये था।

अध्यक्ष— ध्यानाकर्षण-सूचना का कायदा है कि एक-एक करके ली जाती है। अगर सदन चाहेगा तो मैं देर तक बैठकर सबको पूरा करा दूँगा।

श्री चतुरानन मिश्र—उस रोज कहा गया था कोशी बाँध वाला पहले टेक अप किया जायगा।

श्री सुनील मुखर्जी—अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक ध्यानाकर्षण-सूचना है। मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिये अगर सदन परमिट करे तो मेरा वाला पहले ले लिया जाता तो अच्छा होता।

अध्यक्ष—एक-एक करके चलने दें, ऐसे सदन की जो राय हो।

श्री त्रिपुरारि प्रसाद सिंह—पहले से जो पोस्टपौन है उसको पहले लेना चाहिये।

अध्यक्ष—उत्तर भी तैयार रहेगा तब न, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि उत्तर तैयार है या नहीं।

श्री अब्दुल कयूम अन्सारी—पशुपालन विभाग से इस ध्यानाकर्षण सूचना का सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध पुलिस विभाग से है।

अध्यक्ष—ठीक है, इसका मतलब कि तैयार नहीं है।

श्री युवराज—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी अमदाबाद प्रखण्ड के बारे में ध्यानाकर्षण है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका जवाब अगले शुक्रवार को दिया जायगा। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि मैंने आदेश दे दिया है कि बाँध की मरम्मत शीघ्र की जाय। लाल कार्ड के वितरण के बारे में भी है और डिटेल में पूछा गया है, इसलिए कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

श्री युवराज—जिस तिथि को लेना है, लें, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन नदी में पानी दिन-रात बढ़ रहा है, इसलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—हमने आदेश भेज दिया है कि बाँध की मरम्मत शीघ्र की जाय।

अध्यक्ष—ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि श्री सुनील मुखर्जी की ध्यानाकर्षण-सूचना का उत्तर तैयार है।

श्री दिनेश कुमार सिंह—जी हाँ।